

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती

प्रिलिम्स के लिये

महंगाई भत्ता, महंगाई राहत

मेन्स के लिये

COVID-19 की चुनौती से निपटने हेतु सरकार के प्रयास

चर्चा में क्यों?

महामारी से प्रेरित लॉकडाउन का देश की विभिन्न आर्थिक तथा गैर-आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे सरकार की राजस्व स्थिति भी काफी प्रभावित हुई है, इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 तक केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में वृद्धि पर रोक लगा दी है।

प्रमुख बिंदु

- वित्त मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार ने यह निश्चिती किया है कि 1 जनवरी, 2020 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय DA और पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) के लिये देय की अतिरिक्त कसित का भुगतान भी नहीं किया जाएगा।
- ध्यातव्य है कि इसी वर्ष मार्च माह में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इस घोषणा के पश्चात् अप्रैल में सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपने वेतन के साथ जनवरी से मार्च तक के बकाया के साथ बढ़ा हुआ DA मिलने की उम्मीद थी।
 - इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। हालाँकि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मौजूद दर पर महंगाई भत्ते प्रदान किये जाएंगे।

आवश्यकता

- COVID-19 महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के कारण सरकार के समक्ष वित्त संबंधी गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है। COVID-19 महामारी से प्रभावित गरीब और कमजोर वर्गों के लिये स्वास्थ्य पर खर्च के साथ-साथ कल्याणकारी उपायों में भी बड़ी वृद्धि की आवश्यकता है जिसके लिये सरकार को अधिक-से-अधिक वित्त की आवश्यकता होगी।
- COVID-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण सरकार को मिलने वाला कर एवं गैर-कर राजस्व लगभग रुक गया है, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को मंदी में प्रवेश करने से बचाने के लिये और अधिक आर्थिक प्रोत्साहन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

लाभ

- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA और DR में कटौती से मौजूदा वित्तीय वर्ष और वित्तीय वर्ष 2021-22 में तकरीबन 37,530 करोड़ रुपए की बचत की जा सकेगी।
- इसके माध्यम से सरकार को स्वास्थ्य एवं कल्याण के उपायों पर खर्च बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- वशिलेकों के अनुसार, यदि राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार के उपायों का पालन करती हैं तो इस माध्यम से कुल 82,566 करोड़ रुपए की बचत की जा सकती है।

केंद्र के नरिणय का वरिोध

- केंद्र सरकार के इस नरिणय के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने इसका वरिोध शुरू कर दिया है।
- अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (All India Railwaymen's Federation) के अनुसार 'सरकार द्वारा लिया गया यह नरिणय पूरी तरह गलत

है और इसके कारण औसतन एक रेल कर्मचारी की लगभग डेढ़ महीने का वेतन घट जाएगा। इसके अतिरिक्त पेंशनधारियों को भी इस नरिणय से नुकसान का सामना करना पड़ेगा।

आगे की राह

- केंद्र सरकार मौजूदा समय में महामारी से नपिटने के लिये अपनी वतितीय आवश्यकताओं की पूर्ता हेतु काफी प्रयास कर रही है।
- इससे पूर्व केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक वर्ष की अवधि के लिये प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रियों सहित सभी सांसदों के वेतन में [30 परतशित की कटौती](#) की मंजूरी दी थी।
 - इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने आगामी दो वर्षों तक 'संसद सदस्य स्थानीय कषेत्र विकास योजना' (Members of Parliament Local Area Development Scheme- MPLADS) को स्थगति करने का भी नरिणय लिया था। MPLADS पूरण रूप से भारत सरकार द्वारा वतित पोषति योजना है, इस योजना के तहत एक संसदीय कषेत्र के लिये वार्षिक रूप से दी जाने वाली राशिकी अधिकितम सीमा 5 करोड़ रुपए हैं।
- आवश्यक है कसिरकार केंद्र सरकार के कर्मचारी संघों के पक्ष पर भी वचिार करे, साथ ही इसके कारण कर्मचारियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिये भी कुछ व्यवस्था की जाए।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/reduction-in-dearness-allowance-for-central-government-employees>

